

21/08/23

पत्रावली पेञ्चा हुई।
वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित।
न्यायालय समय में उबार आवजें दी गई
लेकिन कोई हाजिर। इससे ज्ञात होता है
कि वकील वादी एवं वादी अपने वाद
के प्रति गंभीर नहीं हैं।

अतः वाद इसी स्तर
से अदम परवी एवं अदम हाजिरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली डूसन-
बुमार होकर काखिल दफ्तर हो व नम्बर
से कम हो।

एल.के.